UPBJ010025322021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– चम्पत सिंह, उ0 प्र0 न्यायिक सेवा. UP6020

सत्रवाद संख्याः– 479/2021
सरकार बनाम बब्बू
मुकदमा अपराध संख्याः– 582/2020
धाराः– 3/25 आयुध अधिनियम।
थानाः– चांदपुर जिला बिजनौर।

01–10–2021

पत्रावली पेश हुई।

पुकार पर अभियुक्त **बब्बू** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित आये।

अभियोजन ने अपने कथनों के समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य का सन्दर्भ दिया।

आरोप विरचन के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धारा का आरोप नियमानुसार विरचित किया जाए।

(चम्पत सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03,
बिजनौर।

दिनांकः– 01–10–2021

Digitally signed by Champat Singh
Date: 2021.10.01 15:54:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम का विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण का दावा किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 11–10–2021 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण को जरिये समन आहूत किया जाए।

(चम्पत सिंह)
दिनांकः– 01–10–2021 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03,
बिजनौर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– चम्पत सिंह, उ0 प्र0 न्यायिक सेवा. UP6020

सत्रवाद संख्याः– 479/2021

सरकार बनाम बब्बू

मुकदमा अपराध संख्याः– 582/2020
धाराः– 3/25 आयुध अधिनियम।
थानाः– चांदपुर जिला बिजनौर।

<u>आरोप</u>

मैं चम्पत सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर आप अभियुक्त **बब्बू** पर निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूं–

<u>प्रथमः–</u>

यह कि दिनांक 29–09–2020 को समय करीब 06:00 बजे बास्टा रोड पर कब्रिस्तान को जाने वाले तिराहे पर गन्दे नाले के पास बहद कस्बा व थाना चांदपुर जिला बिजनौर की सीमा में पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया तथा आपकी जामा तलाशी ली गयी तो पहनी पैंट की दाहिनी साईड में घुरसा हुआ एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर बरामद हुआ, जिसको रखने का आपसे लाइसेंस तलब किया गया तो आप नहीं दिखा सके। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(चम्पत सिंह)
दिनांकः– 01–10–2021 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03,
बिजनौर।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण का दावा किया।

(चम्पत सिंह)
दिनांकः– 01–10–2021 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03,
बिजनौर।